

राज्य शासन के आदेश

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2009

क्र. एफ. ए-3-19-2009-1-पांच-शुद्धिपत्र.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (28), दिनांक 27 अक्टूबर 2009 में कि "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 27 अक्टूबर 2009 को प्रकाशित हुई है, में दर्शाये गये क्रमांक एफ.ए-3-19-2009-1-पांच (28) त्रुटिवश अंकित हो गया है के स्थान पर क्रमांक एफ. ए-3-19-2009-1-पांच (28) पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2009

क्र. एफ. 1-12-91-सात-9(2वीं).—नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 क्रमांक 33 सन् 1976 की धारा 2 के खण्ड दो के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन नीचे दी गई सूची के कालम (2) में वर्णित अधिकारी को उक्त सूची के कालम (3) की प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट नगर बस्ती समूह के लिए नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 व 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

शु.क्र.	अधिकारी का नाम	नगर बस्ती समूह
(1)	(2)	(3)

1	श्री दीपक सक्सेना (अपर कलेक्टर)	भोपाल
---	---------------------------------	-------

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के. रजक, अवर सचिव.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2009

क्र. एफ. 14-4-2008-सत्रह-मेडि-2.—इस विभाग द्वारा जारी हुई अधिसूचना क्रमांक एफ. 14-4-2008-सत्रह-मेडि-2, भोपाल

दिनांक 25 अगस्त 2008 को अधिक्रमित करते हुए तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37 वां) की धारा 2 की उपधारा (छः) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री राकेश श्रीवास्तव (एस.ए.एस.) निबंधक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 4 सितम्बर 2009 से संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिये खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी की शक्तियों के उपयोग करने के लिये नियुक्त करता है.

No. F-14-4-2008-XVII-M-2.—In exercise of the powers conferred by clause (vi) of Section 2 of the prevention of Food Adulteration Act, 1954 (No. XXXVII of 1954) and in supur session of this Department Notification No. 14-4-2008-XVII-Medi-2 Bhopal, dated 25th August 2008 the State Government hereby appoints Shri Rakesh Shrivastava (S.A.S.) Controller, Food & Drugs Administrations, Madhya Pradesh to exercise the power and to perform the entire State of Madhya Pradesh w.e.f. the 4th September 2009 of his taking over the charge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री क्रियावत, उपसचिव.

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2009

क्र. एफ. 5-49-2009-1-59.—मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग अधिसूचना क्र. एफ-05-14-2005-03-पचपन, दिनांक 9 जुलाई 2007 के द्वारा इग एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 33 जी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, डॉ. ए. डी. सिद्धिकी अधीक्षक सह जिला आयुर्वेद अधिकारी (प्रभारी उप संचालक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी मध्यप्रदेश भोपाल) एवं डॉ. ए. के. जैन अधीक्षक, सह जिला आयुर्वेद अधिकारी, भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य के लिए औषधि निरीक्षक (आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति) नियुक्त किया गया था. इस अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन, उक्त एक्ट की धारा 33 जी तथा इग कास्मेटिक्स रूल्स 1945 के नियम 162 के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ डॉ. अरविंद चौबे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी मध्यप्रदेश भोपाल) तथा डॉ. प्रकाश चंद्र शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी मध्यप्रदेश भोपाल) को एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिए औषधि निरीक्षक (आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति) नियुक्त करता है.

ती. (आयुष)]

संयुक्त सचिव

29.10/45-एच

2009 के द्वारा